

3/यो0संक०-29/2022

109

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या/2025-26)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 14.8.2025

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिशन शक्ति योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (सामर्थ्य) के तहत केन्द्रांश मद में कुल रू. 1464.92 लाख (चौदह करोड चौसठ लाख बानबे हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5724 दिनांक 27.11.2017 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिशन शक्ति योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (सामर्थ्य) के संचालनार्थ कुल-638.01 लाख (छ: करोड अडतीस लाख एक हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-38 दिनांक-16.04.2025 के द्वारा प्रदान की गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त केन्द्रांश मद में कुल रू. 1464.92 लाख (चौदह करोड चौसठ लाख बानबे हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	PFMS Code	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व से स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1.	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (सामर्थ्य) (केन्द्रांश)	60:40	3980 (BR73)	51-2235021020226	0226.31.06	478.51	1464.92
2.	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (सामर्थ्य) (राज्यांश)			51-2235021020326	0326.31.06	159.50	0.00
योग:- (चौदह करोड चौसठ लाख बानबे हजार)						638.01	1464.92

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक - 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 227/वि० दिनांक 28.03.2025, 235/वि० दिनांक 01.04.2025, पत्रांक-600/वि. दिनांक-06.08.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-29/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-23/टि0 पर दिनांक-08.08.2025 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-29/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-25/टि0 पर दिनांक-13.08.2025 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन



(योगेश कुमार सागर)

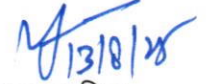
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-29/2022/

109

पटना, दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-29/2022/

109

पटना, दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



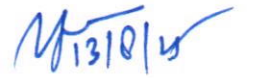
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-29/2022/

109

पटना, दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव